हुक्म की ता...
में जारी हुए

3-1-2018 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व पेशकार हाजिर। बहस हेतु आज समय नहीं मिला। वास्ते बहस 4-1-2018 को पेश हो।

4-1-2018 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व पेशकार उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीया हीरा पत्नि डोला मीणा नि. मकड़िया हाल प्रतापपुरा तहसील जहाजपुर ने प्रार्थना पत्र के माध्यम आदेश 9 नियम 13 जा. दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड न्यायालय मांडलगढ़ के तहसीलदार मांडलगढ़ द्वारा वादपत्र प्र.क. 72/81 अन्तर्गत धारा 88-175 रा.टि. एक्ट प्रस्तुत किया जिसका निर्णय 18-12-1984 को न्यायालय ने दोनों प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णित कर दिया गया। निर्णय बिना सुने ही कर दिया गया। वादपत्र डोला पुत्र कालू मीणा नि. नारायणगढ़ तहसील बेगूं अंकित कर दिया गया। जबकि डोला पुत्र कालू मीणा नि. नाहरगढ़ ख.न. 93 का खातेदार ही नहीं था। खेत 20.36 व 2.39 की जमाबंदी के यदि कोई नाम पूर्व इन्द्राज कर रखा है तो वह किसी प्रकार से मालूम नहीं था। गलत राजस्व अभिलेखों का पोषण कर खातेदार की वल्दीयत एवं निवास को बदला जाकर वादपत्र पेश किया गया। और उनके विरुद्ध प्रस्तुत किये गये वादपत्र के किसी प्रकार का कोई तामील नहीं होने के बावजूद न्यायालय के रीडर ने दिनांक 8-2-1984 को पृष्ठांकन किया कि प्रतिवादीगण बावजूद इत्तला गैर हाजिर है। जबकि सम्मन डोला या वारिसान को तामील होना नहीं पाया। वास्तविक खातेदार डोला मीणा मकड़िया को कोई सम्मन ही नहीं भेजा गया

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

हुक्म

वास्तविक खातेदार के विरुद्ध दिनांक 18-12-
को डिक्री पारित नहीं हुई है। रौला पुत्र बाल
की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी उनकी पत्नि को
पक्षकार बनाया जाकर निर्णय के उत्तराधिकारी को
पक्षकार को बना कर सुना गया है जो उचित नहीं व
प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो की अवहेलना हुई है।
पारित निर्णय केवल वोयड है। प्रार्थीया ग्रामीण
क्षेत्र की अशिक्षित महिला है उक्त कारण
से जानकारी नहीं है जानकारी होने पर निर्णय व
डिक्री की प्रति प्राप्त कर निर्णय की प्रकरण बाद
28-8-2012 को जानकारी हुई है। प्रार्थना पत्र मय
उपरोक्त प्रकरण है अतः निर्णय एवं डिक्री दिनांक
18-12-1984 को अपास्त फरमाया जाकर प्रकरण
का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण फरमाया जावे।
साथ ही प्रार्थना पत्र मियाद अन्दर निर्णय के
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 18-12-1984 से 20-8-12
की अवधि की देरी फरमाते हुए पक्षकारान
को सुनवाई हेतु निर्णय व निर्णय 13 C.P.C. प्रार्थना
को विचारार्थ स्वीकार करायी जावे।
प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी
को तलबी करायी गई।
मैसर्स नायब तहसीलदार [illegible] विपक्षी ने
उपस्थित हो प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया।
जवाब में लिखित किया कि प्रार्थीया का जाति
अनुसूचित जन जाति का है एवं मोतीलाल पुत्र
जमना धाकड़ कोटीपुरा का निवासी है जो स्वर्ण जाति
का सदस्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 42 बी
में अनुसूचित जनजाति का सदस्य स्वर्ण जाति का

खारिज करने के कारण धारा 175 के तहत अर्जि
खिलाफ किया जाना उचित है प्रार्थना पत्र
अब चलने योग्य नहीं है खारिज फरमाया जावे।
इसके उपरान्त श्रीमान से बहस सुनी गई।
पत्रावली का सम्पूर्ण अवलोकन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी
है कि प्रकरण संख्या 73/81 अन्तर्गत धारा 42 ???
रा० का० अधि० के निर्णय 18-12-84 के प्रतिवादीगण की
गैरहाजरी तामील न होने पर भी एकतरफा डिक्री पारित
कर निर्णय पारित किया है अपास्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार ने उक्त जवाब के विरुद्ध लिखित
में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को आदि
विरुद्ध दी गई भील जाति के व्यक्ति द्वारा धाकड़ सवर्ण
जाति के व्यक्ति के आधार के आदि क्रय-विक्रय होकर
आदि पर कब्जा सवर्ण जाति के व्यक्ति का होने से
न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है निर्णय
दिनांक 18-12-84 को निरस्त करने के लिए दिनांक
13-3-12 को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है देरी के
लिए धारा 5 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है किन्तु प्रार्थना
पत्र के विलम्बता की अवधि को माफ किये जाने
बाबत विलम्बनीय उचित कारण नहीं है जिस कारण
प्रार्थी ने बहस के दौरान नजीर RBJ (15) 2008
पेज 533 S.B. सिविल रिट याचिका N. 6475/2004 एवं
RBJ (13) पेज 191 उद्धृत की है प्रस्तुत नजीर के तथ्य
भिन्न है किन्तु धारा 5 प्रार्थना के 28 वर्ष देरी के
लिए प्रतिवादी की मृत्यु उपरान्त वारिसान द्वारा प्रार्थना
के पर्याप्त कारण अंकित नहीं है।

प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 अस्वीकार
किये जाने योग्य है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का
अस्वीकार किये जाने से O9 R13 CPC प्रार्थना पत्र खारिज
किया जाता है।

पत्रावली नियम के तहत मोहाफिज खाना जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी